अ॰

20.12.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेग द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश किया प्रति वकील प्रार्थी को दि गई जिस पर वकील प्रार्थी ने आज हि बहस सुनाये जाने का निवेदन किया जाने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा सदाडा प.ह. ईटावा की प्रा.पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुझ प्रार्थीया का नाम चांदी बाई पुत्री भैरू बाई के बजाय सुगना बाई पुत्री भैरू बाई अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयो की

तारीख हुक्म	
	त्रुटि सेकर दिया गया है। लापरवाही से लिपिकीय त्रुटि सेकर दिया गया है। जिससे प्रार्थीया को सरकारी योजनाओ का लाभ नही मील पा रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रा-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे मुझ प्रार्थीया का नाम सुगना बाई पुत्री भैरू बाई के बजाय जरिये शुद्धी पत्र से चांदी बाई पुत्री भैरू बाई अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर पैरोकार तहसीलदार बेगू ने अपनी बहस जवाब प्रा पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भैरूलाल की विरासत बाबत प्रस्तुत किया गया है। जिस पर बाद जाँच पटवारी द्वारा नामान्तरण खोला गया जिसमे अन्य वारिसान के साथ सुगनाबाई अंकित किया गया जिसे ग्रा.प. इटावा द्वारा जाँच कर सर्वसम्मति से सुगनाबाई पुत्री भैरूलाल के पक्ष मे निर्णित किया गया। मजमे आम मे इस सबंध मे भू. अ. नि. तथा पटवारी द्वारा तैयार किये गये पर्चा मौका अनुसार प्रार्थीया के पति द्वारा प्रार्थीया से पुर्न विवाह किया गया। प्रार्थीया के पति की पूर्व पत्नि जिसका देहान्त हो गया उसका नाम चांदीबाई था। प्रार्थीया का नाम सुगनाबाई ही है। जो सही है अतः प्रार्थीया का प्रा-पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई व प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रकरण मे प्रार्थीया द्वारा पेस कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि सुगनाबाई ही चांदीबाई है। तहसीलदार पैरोकार बेगू के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 LRA का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-